

I/150529/2022

भाग-5

(इस वन प्रभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य अधिकारी को अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

जनपद मुजफ्फरनगर में इन्द्रप्रस्थ गैस लि० नई दिल्ली द्वारा खतौली बाईपास से मुजफ्फरनगर बार्डर (पी० डब्लू० डी० किमी० चैनेज ०.००० से ९.२००) व एन० एच०-५८ किमी० चैनेज ९०.२९० से ९२.२९० तक १२" डाया भूमिगत नेचुरल गैस पाईप डालने हेतु ०.५६०० हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं०-एफपी/यूपी/अदर्स/१४६०५९/२०२१)

राज्य सरकार की सिफारिशें - पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-२ के शासनादेश संख्या-पी-३२४/८१-२-२०२१-८००(२१)/२०२२ दिनांक २८ मार्च २०२२ के द्वारा प्रस्तुत पर संस्तुति सहित अनुमोदनार्थ अग्रसारित।

(उपर्युक्त भाग-ख या भाग-ग या भाग-घ में से किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकृत टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाये।

Signed by आशीष तिवारी

हस्ताक्षर

Date: 28-03-2022 13:39:11

Reason: Approved

()

नाम और पदनाम सरकारी मोहर सहित

(आशीष तिवारी)

सचिव,

पर्यावरण, वन एवं जलवायु

परिवर्तन विभाग,

उत्तर प्रदेश शासन।